न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 03 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. तेजाराम पुत्र भैराराम
2. भाखराराम पुत्र भैराराम जातियान विश्नोई निवासी आदर्श लुखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.नाथाराम पुत्र कानाराम
2.अन्नाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लुखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रवन्धक, एस बी आई शाखा धोरीमन्ना
4.श्रीमान तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2019 बअनवान नाथाराम बनाम तेजाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 15.12. 2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रोशनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 22.09.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 29.04 बीघा मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लुखू तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है जिससे लगता हुआ विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 251/2 व सरकारी भूमि खसरा संख्या 235 गैर मुमकिन धोरा प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीनी को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले तथाकथित कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2019 को उतरदाता सख्या 01 द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, तथा मौका रिपोर्ट पर भी आपति उठाते हुऐ एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांटगण को बिना सूचना दिये ही पूर्व की भांति ही एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी जिस पर अपीलांटगण ने आपत्ति पेश की तथा पुनः उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर अपीलांटगण के तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2019 को उतरदाता सख्या 01 द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, तथा मौका रिपोर्ट पर भी आपति उठाते हुए एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांटगण को बिना सूचना दिये ही पूर्व की भांति ही एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी जिस पर अपीलांटगण ने आपत्ति पेश की तथा पुनः उच्च

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिकारियों के नेतृत्व में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर अपीलांटगण के तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उत्तरदाता/आवेदक ने अपीलाधीन आराजी जिस खातेदारी से क्रय की गई उसे मूल खसरा से रास्ते की मांग किया जाना वाजिब है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे यदि न्यायालय उचित समझे तो आधी चौड़ाई का रास्ता अपीलांट के खेत में और शेष आधी चौड़ाई का रास्ता खसरा संख्या 233/2 में दिया जा सकता है।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 29.04 बीघा मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लुखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है जिससे लगता हुआ विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 251/2 व सरकारी भूमि खसरा संख्या 235 गैर मुमकिन धोरा प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी की जोत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी रेस्पोडेंट ने खसरा संख्या 233/2 में से भूमि क्रय की है इसलिए न्यायसंगत होगा कि आधी चौड़ाई में रास्ता उसके पड़ोसी खेत खसरा संख्या 233/2 में से दिया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में खसरा संख्या 251/2 व खसरा संख्या 235 में रास्ता पूरी चौड़ाई में प्रदत्त किया गया। प्रदत्त रास्ता की चौड़ाई 04 गठ्ठा है। जो बहुत अधिक है रास्ता 03 गठ्ठा चौड़ाई का पर्याप्त है। अपीलांट के तर्क को मानते हुए यह उचित है कि आधी चौड़ाई का रास्ता खसरा संख्या 251/2 व खसरा संख्या 235 (गैर मुमकिन धोरा) में तथा आधी चौड़ाई का रास्ता खसरा संख्या 233/2 में उभयनिष्ठ सीमा के सहारे–सहारे दिया जावे। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2019 बअनवान नाथाराम बनाम तेजाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2020 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेक्षित किया जाता है कि खसरा संख्या 233/2 के खातेदार राजू वल्द प्रभु कौम सुथार को पक्षकार रूप में संयोजित कर बाद सम्यक तामील सुनवाई कर उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत आदेश जारी करे। मामले के निस्तारण होने तक खसरा संख्या 235 व खसरा संख्या 251/2 में आधी चौड़ाई (डेढ गट्ठा) में रास्ता खुला रखे एवं उसमें कोई अवरोध अपीलांटगण पैदा नहीं करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.10.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के आवश्यक रूप से लौटाया जावे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर